संख्या-21/2015/532/58-2-2015-300(26)/2014टी0सी0

प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 08 जून, 2015**

विषय:- अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में 'खाद्य प्रसंस्करण शाखा' की खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास की योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-1350 हजार को अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-39-40/बजट-आयोजनागत/2015-16, दिनांक: 11.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में खाद्य प्रसंस्करण शाखा की अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-1350 हजार (रूपया तेरह लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

अनुदान संख्या-83 **(धनराशि हजार रूपये में)**

क्र0 सं0	**लेखाशीर्षक /योजना का नाम**	**वित्तीच वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान**	**अवमुक्त धनराशि**
1	**2**	**4**	5
1	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रशासंगिक व्यय	1350	1350
	योग-	**1350**	**1350**

(धनराशि रूपये-तेरह लाख पचास हजार मात्र)

(1) यह धनराशि/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0(एस0सी0पी0) योजना हेतु निर्धारित मानक तथा निर्देशों का अनुपालन किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र आहरण संवितरण अधिकारी के द्वारा कोषागार में धनराशि आहरित करने के लिए दिया जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद/कार्यक्रम में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृति की प्रत्याशा में कदापि न किया जाए।

(4) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत स्वीकृत परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा। उसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटन की सीमा तक ही नियंत्रित रखा जाय।

(7) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक- 31.03.2016 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं संख्या-बी-2-2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30/03/2015 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(10) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-2-2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30/03/2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-21/2015/532(1)/58-2-2015, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in